I/315816/25

संख्याः /XXVIII-3-25-e file/Comp-no-89138/2025

प्रेषक,

डॉ0 आर0 राजेश कुमार,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः 22 जुलाई, 2025

विषय– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2025–26 में **1st Mother sanction for Grant-in-aid under "Pradhan Mantri Ayushman Bharat Helth Infrastructure Mission (PM-ABHIM) on SNA SPARSH Platform"** के अंतर्गत अवमुक्त 90% केन्द्रांश के सापेक्ष 10% राज्यांश अवमुक्त किये जाने हेतु पुनर्विनियोजन/व्यय की स्वीकृति विषयक ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त आपके कार्यालय पत्र संख्या–5प/7/बजट अनु0–1/24/2025–26/17191, दिनांक 20.06.2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु भारत सरकार के शासनादेश संख्या–G-27018/14/2025–26/NHM-F(FTS– 8329468) दिनॉक–16 जून, 2025 द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत "1st Mother Sanction for Grant-in-aid under " Pradhan Mantri Ayushman Bharat Helth Infrastructure Mission (PM-ABHIM) on SNA SPARSH Platform" के रूप में भारत सरकार से अवमुक्त 90 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि ₹ 18,25,00,000/–(रूपया अठ्ठारह करोड पच्चीस लाख मात्र) की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सापेक्ष राजस्व मद में लेखाशीर्षक 3601–06–101–94–01–31 के अन्तर्गत केन्द्रांश के रूप में ₹ 70,00,000/–(रूपया सत्तर लाख मात्र) के सापेक्ष संलग्न बीएम 9(I) के अनुसार पुनर्विनियोजन की स्वीकृति प्रदान करते हुए अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि 7,77,778/– (सात लाख सतहत्तर हजार सात सौ अठ्ठहत्तर मात्र) निम्नलिखित प्रतिबन्ध एवं शर्तो के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय करने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

I. धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है। स्वीकृत धनराशि का व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं समस्त संगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
II. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है उस मद में धनराशि बचत के रूप में उपलब्ध हो। धनराशि उपलब्ध न होने की दशा में पुनर्विनियोग स्वतः निरस्त माना जाएगा।
III. आवंटित धनराशि का व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर की स्वी

कृति अवश्य प्राप्त की जाय।

IV. स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में एसएनए गाईडलाइन का पालन किया जायेगा।

V. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules, 2017 समय–समय पर यथासंशोधित वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग के शासनादेश सं0–193 XXVII(1)/2012 दिनांक 30.03.2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

VI. जिन मदों से बी0एम0–09 के अनुसार पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उन मदों में इस वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग कदापि नहीं की जायेगी तथा धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार शासन को समर्पित कर दिया जायेगा। आंवटित धनराशि के उपभोग की मासिक सूचनाएं बी0एम0–08 पर शासन को प्रेषित की जाए।

VII. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश संख्या – I/287566 E-79713/09(150)/2019/XXVII(I)/2025 दिनांक 31.03.2025 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

VIII. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराया जायेगा।

IX. स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या –84/XXVII (I)/2016, दिनांक 26 जुलाई, 2016 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा।

X. पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा बजट की मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

XI. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्यय में अनुदान संख्या 12 के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0–9 के कॉलम–07 के नामें डाला जायेगा तथा बी0एम0–9 के कॉलम–1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

2. यह आदेश शासनादेश संख्या–130/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29.03.2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेन्ट आई0डी0 द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

3. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 की कम्प्यूटरजनित संख्या I/314987/2025 दिनांक 17.07.2025 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्न : अलॉटमेन्ट आई0डी0।

Digitally signed by Rajan Rajesh Kumar
Date: 22-07-2025 13:39:26

भवदीय,

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव।

पत्र संख्या एवं तिथि तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून को बी0एम0–9 की मूल प्रति सहित ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3 / एन0आई0सी0।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Krishna Kumar Shukla
Date: 22-07-2025
13:45:43

(कृष्ण कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

प्रपत्र–2

उत्तराखण्ड शासन,
संख्याः– (मि0)/XXVII-3/2025-(E-89138)
देहरादून, दिनांकः22 जुलाई, 2025

पुनर्विनियोग स्वीकृत

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
उत्तराखण्ड देहरादून।

Digitally signed by
Ganga Prasad
Date: 17-07-2025
21:19:29

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या एवं तिथि–तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, देहरादून,उत्तराखण्ड।
2- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवचायें, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 ।
5- गार्ड फाईल।

Digitally signed by
Krishna Kumar Shukla
Date: 22-07-2025
13:46:56

आज्ञा से,
(कृष्ण कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

प्रपत्र बी0एम0–9 (भाग–एक)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति हेतु आवेदन
(वित्तीय वर्ष 2025–26)

अनुदान सं0 व नाम–12–चिकित्सा एवं परिवार कल्याण,

मुख्य लेखाशीर्षक–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–मतदेय

(धनराशि हजार में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाये		निम्नलिखित निधियों को प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाये	
लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट में आयोजनागत / आयोजनेत्तर	आवेदन की तिथि पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन की तिथि पर उपलब्ध बचतें	अंतरित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु धनराशि	अन्तरण के पश्चात अवशेष अनुदान / विनियोग (2–5)	लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट में) आयोजनागत / आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष हेतु उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वर्ष के दौरान प्रत्याशित कुल व्यय	अन्तरण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु धनराशि	अन्तरण के पश्चात अवशेष अनुदान / विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210–03–110– 01–0106 प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पी० एम०–अभीम)						2210–03–110– 01–0106 प्रधानमंत्री आयुष्मान भारतहैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पी० एम०–अभीम)					7000
मानक मद–14– केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस० एन०ए० में अन्तरण	492439	492439	6999	6999	485440	70केन्द्राश	1	7000	6999	6999	
योग	492439	492439	6999	6999	485440	योग	1	7000	6999	6999	7000
महायोग	492439	492439	6999	6999	485440	महायोग		7000	6999	6999	7000

प्रमाणित किया जाता है कि पैरा–133 व 134 में निर्धारित शर्तो सीमाओं का इस पुनर्विनियोग में उल्लंघन नही किया गया है।

IFMS
Uttarakhand

Print Date:-24/Jul/2025 05:21 PM

Signature Not Verified
Digitally signed by: Mr Krishna Kumar Shukla
Reason :SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 24-07-2025 17:21:55

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025-2026)

Administrative Department : Secretary, Medical & Health (S030)

SSM Code : PRADHAN MANTRI AYUSHMAN BHARAT HEALTH INFRASTRUCTURE MISSION (PM-ABHIM)(3991)

आवंटन पत्र संख्या - 89138/2025

आवंटन आई डी - S25070120011

अनुदान संख्या - 012

आवंटन पत्र दिनांक - 24-JUL-2025

लेखा शीर्षक -

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

110 अस्पताल तथा औषधालय

06 प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पी0एम0-अभीम)

03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें

01 केंद्र सहायतित योजना

2	2	1	0	0	3	1	1	0	0	1	0	6

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	71-केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश	0	777778	0	777778
	योग	0	777778	0	777778

Total Current Allotment To SSM In Above Schemes - Rs. 7,77,778 (Rupees Seven Lacs Seventy Seven Thousand Seven Hundred Seventy Eight Only)

Batch ID : SSM:S030:S030:2507:0001

Approval Status : e-Sign letter